विमानन संचालनालय
केपिटल कॉम्प्लेक्स महानदी भवन
मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)

//विज्ञापन//

क्रमांक 3539/518/विमा0/संचा0/2017 रायपुर, दिनांक 14.08.2017

विमानन संचालनालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के निम्नांकित रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु (एकमुश्त मासिक संविदा वेतन पर) छत्तीसगढ़ के स्थायी नागरिकों का आवेदन–पत्र आमंत्रित किया जाता है :–

क्र0	पद विवरण	वेतनमान	श्रेणी	आयु सीमा	पद संख्या	मासिक संविदा वेतन
01.	सहायक अभियंता (हेलीकॉप्टर) (संधारण) अनारक्षित–मुक्त 01	15600–39100 +5400	द्वितीय	21 से 45 तक	01	1,03,360/–
02.	वरिष्ठ गुणवत्ता प्रबंधक (फ्यूल) अनारक्षित–मुक्त 01	15600–39100 +5400	द्वितीय	21 से 45 तक	01	48,360/–
03.	वरिष्ठ तकनीशियन (हेलीकॉप्टर) अनु0 जनजाति वर्ग मुक्त–01	5200–20200 +2800	तृतीय	21 से 35 तक	01	24,787/–
04.	स्टोर कीपर कम कम्प्यूटर ऑपरेटर अनारक्षित मुक्त–01	5200–20200 +2400	तृतीय	21 से 35 तक	01	18,000/–

टीप :– भविष्य में संविदा वेतन में राज्य शासन द्वारा किये जाने वाले वृद्धि अनुसार वेतन नियमन मान्य होगा ।

(अ) पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता :–

1. <u>सहायक अभियंता (हेली0) (संधारण)</u> –

<u>Essential</u> :-

1. Current and valid Aircraft Maintenance Engineering (AME) Licence issued by Director General of Civil Aviation (DGCA) in Category B1 on A-109 Helicopter installed with PW 206/207 Engines having at least 02 years of experience as certifying staff on Agusta 109 Helicopter.
2. Total Practical Maintenance Experience of 05 years in the field of Aviation excluding AME Diploma Training period.
3. Basic Knowledge of Computer working.

<u>Preference</u> :-

1. Added experience on A-109 EP Helicopter installed with PW 206 C Engines.

2. <u>वरिष्ठ गुणवत्ता प्रबंधक (फ्यूल)</u> :–

1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक अथवा डिप्लोमाधारी

या

2. अभ्यर्थी के पास बेसिक एयरक्राफ्ट मेंटनेस इंजीनियर लायसेंस (BAMEL)/JE या HA या RA या LA या PE केटेगरी में सर्टिफिकेट होना चाहिये ।
3. अभ्यर्थी के पास विमानन फ्यूल इंडस्ट्री में न्यूनतम 05 वर्ष का कार्यानुभव हो एवं एविएशन ऑपरेशन तथा फ्यूल टेस्टिंग हेतु क्वालिटी कन्ट्रोल प्रक्रिया का समुचित ज्ञान हो ।

<u>टीप</u>:–बी0 टेक (कैमिकल/मैकेनिकल) डिग्रीधारी **या** बेसिक एयरक्राफ्ट मेंटनेस इंजीनियर लायसेंस (BAMEL)/बेसिक एयरक्राफ्ट मेंटनेस इंजीनियर सर्टिफिकेट (BAMEC) धारक को प्राथमिकता दी जायेगी ।

3. <u>वरिष्ठ तकनीशियन (हेलीकॉप्टर)</u> :–

1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ।
2. महानिदेशक नागर विमानन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एयरक्राफ्ट मेंटनेंस कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिये ।
3. विमान में एयरक्राफ्ट मेंटनेस

   या

   हेलीकॉप्टर मेंटनेस वर्क के क्षेत्र में 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिये ।

<u>टीप</u>:–अगुस्ता–109 हेलीकॉप्टर में मेंटेनेंस वर्क के अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी ।

4. <u>स्टोर कीपर कम कम्प्यूटर ऑपरेटर</u> :–

1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ।
2. कम्प्यूटर प्रचालन में दक्षता होना चाहिये ।
3. महानिदेशक नागर विमानन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एयरक्राफ्ट मेंटनेंस कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिये ।
4. संबंधित क्षेत्र में 05 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिये ।

(ब) नियम एवं शर्तें :–

1. **निर्धारित आयु–सीमा :–** अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो । आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों तथा महिला उम्मीदवारों के लिए सभी प्रकार की छूट मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है ।

   (क) आयु की गणना दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में की जावेगी ।)

   (ख) आयु हेतु 10वीं/12वीं कक्षा की अंकसूची में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

   (ग) विमानन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2012/45, दिनांक 26.08.2014 विभागीय भर्ती नियमावली की कंडिका ''08'' के टीप (ठ) के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3, दिनांक 23.01.2017 के निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी ।)

2. ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु–सीमा से तीन वर्ष से अधिक ना हो ।

3. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने नाम पर ग्रीन कार्ड धारण करने वाले आवेदकों (छ0ग0 राज्य के आवेदकों) को उच्चतर आयु–सीमा में 02 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

4. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर–जातीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–03/10/85/03/01, दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु–सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

5. राज्य (छ0ग0 राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान'', महाराजा प्रवीर चंद्र भंज देव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरूस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य उच्चतर आयु–सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(स) चयन प्रक्रिया :–

चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार चयन किया जावेगा । (10+2) परीक्षा या पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्राप्त अंकों, तकनीकि योग्यताओं एवं कार्यानुभव के आधार पर मैरिट सूची तैयार की जावेगी । नियमानुसार पात्र एवं योग्य उम्मीदवार की उपयुक्तता पर चयन समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा । चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार मापदण्ड प्रक्रिया अपनाई जावेगी :–

क्र0	पदनाम	चयन प्रक्रिया
1.	1. सहायक अभियंता (हेली0) (संधारण) 2. वरिष्ठ गुणवत्ता प्रबंधक ''फ्यूल'' 3. वरिष्ठ तकनीशियन (हेलीकॉप्टर) 4. स्टोरकीपर कम कम्प्यूटर ऑपरेटर	1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम अंक 60 अंक । 2. न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक दिये जायेंगे। अधिकतम 15 अंक । 3. प्रथम/द्वितीय श्रेणी पद हेतु साक्षात्कार के लिए 25 अंक निर्धारित रहेंगे । 4. स्किल टेस्ट से संबंधित परीक्षा (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु) के लिए 25 अंक निर्धारित रहेंगे।

1. उपरोक्तानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं साक्षात्कार/स्किल टेस्ट में प्राप्त अधिकतम अंको की मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा ।

2. साक्षात्कार /स्किल टेस्ट हेतु न्यूनतम अर्हतादायी अंक निर्धारित नहीं है ।

3. 25 अंक के कौशल परीक्षण में 10 अंक वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा (Objective type) तथा 15 अंक मौखिक परीक्षा (Viva) हेतु निर्धारित होंगे ।

4. अर्हतादायी अनुभव की गणना दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में की जावेगी ।

5. चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में संचालक विमानन का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा ।

<u>महत्वपूर्ण टीप</u> :–

6. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है । योग्य अभ्यर्थी के अभाव में इस नियम में शिथिलता प्रदान करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।

7. यदि आवेदक किसी भी शासकीय अर्द्धशासकीय संस्था में नियोजित नहीं है तो आवेदक का रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा जिनकी सत्यापित प्रति संलग्न करें ।

8. आयु–सीमा में छूट के संबंध में प्रमाण–पत्र की स्व–सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना आवश्यक है ।

9. आवेदन–पत्र के नियत स्थान पर स्व–सत्यापित हाल ही के पासपोर्ट साईज़ का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकाएं ।

10. आवेदन को आवेदन–पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकि अर्हता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा ।

11. आवेदन–पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक **15.09.2017** तक **संचालक, विमानन संचालनालय, AD 3/9 केपिटल कॉम्प्लेक्स महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर** के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा । रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त आवेदन–पत्र के अलावा अन्य साधनों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

12. विज्ञप्ति जारी दिनांक के पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

13. **लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर अवश्य लिखें ।**

14. आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता के समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति में पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही आवेदन–पत्र भरें । प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिये आंमत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है, तथा चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन–पत्र बिना कोई सूचना दिए निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी ।

15. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत् हैं उन्हें अपना आवेदन–पत्र नियोक्ता/विभाग प्रमुख के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

16. चयन उपरान्त यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

17. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुणिपूर्ण आवेदन–पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे, ऐसे आवेदन–पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी ।

18. सभी अभ्यर्थी निश्चित रूप से ''अभ्यर्थी की जानकारी'' नामक तालिका भरकर संलग्न करें ।

19. यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती जिसका निराकरण संभव नहीं है तो विभाग जारी किये गये रिक्ति/रिक्तियों को अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर सकता है ।

20. जारी रिक्तियों तथा चयन प्रक्रिया व नियुक्ति संबंधी वाद का न्यायालयीन क्षेत्राधिकार रायपुर होगा ।

21. किसी आवेदक द्वारा चयन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार अवांछित तरीके से अपने पक्ष में चयन हेतु दबाव बनाये जाने पर पद हेतु आवेदक की दावेदारी निरस्त की जायेगी तथा दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

<u>नियुक्ति के लिए अपात्रता</u> :–

1. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई आयु–सीमा में पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।

2. कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । संशोधन परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा ।

3. आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु नियत तिथि उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

4. पात्र आवेदक को यथासमय साक्षात्कार/कौशल परीक्षा हेतु सूचित किया जायेगा । निर्धारित तिथि को आवेदक यदि अनुपस्थित रहता है तो आवेदक को अन्य तिथियों में साक्षात्कार/कौशल परीक्षा की पात्रता नहीं होगी ।

5. पद के लिए निर्धारित योग्यता अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों का मूल्यांकन कर समस्त पात्र–अपात्र उम्मीदवारों की सूची का दावा आपत्ति हेतु प्रकाशन किया जायेगा तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जायेगा ।

6. कृपया समय–समय पर विभाग द्वारा प्रकाशित सूचनाओं का समाचार पत्र/शासकीय वेबसाइट में अवलोकन करें ।

हस्ता./–
संचालक
विमानन संचालनालय
मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)

<u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज़ का फोटो चिपकाएं

आवेदित पद का नाम :— ....

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) ....

(अंग्रेजी में) ....

2. पिता / पति का नाम ....
3. वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु) ....

....

....

4. स्थायी पता ....

....

....

5. जन्मतिथि (अंको में) ....

(शब्दों में) ....

6. आयु (01.01.2017 को) ....
7. जन्म स्थान / मूल निवास ....
8. क्या आप छ0ग0 शासन द्वारा मान्यता प्राप्त वर्ग ....

अ.पि.वर्ग / अजा / अजजा के सदस्य हैं ?

(यदि आवेदक छ0ग0 राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण—पत्र की प्रति संलग्न करें)

9. **<u>शैक्षणिक योग्यता (पद के लिये न्यूनतम योग्यता से शुरू करें)</u> :—**

क्र.	**परीक्षा का नाम**	**बोर्ड / वि.वि. का नाम**	**विषय**	**श्रेणी**	**कुल प्राप्तांक**	**कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत**
01.						
02.						
03.						
04.						
05.						

10. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ? हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र संलग्न करें ....

11. रोज़गार कार्यालय का जीवंत पंजीयन क्रमांक तथा दिनांक तथा रोज़गार कार्यालय का नाम (यदि आवेदक किसी सेवा में नियोजित न हो) ....
....
....

12. क्या आपने किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया हैं ? (यदि हाँ तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें) हाँ / नहीं

13. क्या आप शासकीय / अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा छ.ग. राज्य / निगम / मंडल के स्थायी / अस्थायी कर्मचारी हैं ? (यदि हाँ तो उसका पूरा विवरण लिखें तथा अपने विभाग– –ध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करें) हाँ / नहीं

14. क्या आप कभी शासकीय सेवा के लिये मेडिकल बोर्ड / मेडिकल प्राधिकारी द्वारा अयोग्य ठहराये गये हैं ? (यदि हाँ तो पूर्ण विवरण लिखें) हाँ / नहीं

15. क्या आप किसी अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार किये गये हैं, क्या आप पर अभियोजन चलाया गया हैं? यदि हुए हैं जुर्माना हुआ है या आप किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराएँ गये है तो पूर्ण विवरण दिया जावे साथ ही अपराध क्र. / धारा / थाना एवं जिला सहित पूर्ण विवरण दर्शाये । हाँ / नहीं

16. क्या आप पर वर्तमान में किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय किसी भी शैक्षिणक प्राधिकरण संस्था में आपके विरूद्ध कोई मामला लंबित है ? विवरण देवें । हाँ / नहीं

17. आवेदक विवाहित है या अविवाहित है । यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि एवं संतानों का विवरण देवें । ....
....

(1) संतानों की कुल संख्या
(2) अंतिम संतान की जन्मतिथि

(**<u>टीप</u>** :– शपथ पत्र संलग्न करें । निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा (पुरूष 21 वर्ष महिला 18 वर्ष) के पूर्व विवाहित आवेदक / आवेदिका नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे) ।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

<u>घोषणा –पत्र</u>

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरा विश्वास है सही है और पूर्ण है । मैं ऐसी किसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिये मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो । मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जावे तो नियुक्ति प्राधिकारी को मुझे बिना सूचना दिए या बिना कारण बताए मेरी सेवा समाप्ति का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बन्धकारी होगा ।

स्थान ....
दिनांक ....

आवेदक का हस्ताक्षर
(नाम ....)
पूर्ण पता ....

<u>संलग्न (प्रमाण–पत्रों का विवरण एवं संख्या) :–</u>

1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6. ....
7. .... 8. ....

<u>अभ्यर्थी की जानकारी की चेक लिस्ट</u>

(कृपया विवरण भरें एवं संलग्नक को अंकित करें)

क्रमांक	विवरण		विभागीय रिमार्क
01.	**02.**	**03.**	**04.**
1.	नाम		
2.	पिता/पति का नाम		
3.	पता		
4.	मोबाईल नम्बर		
5.	ई–मेल		
6.	जाति/प्रमाण–पत्र	हाँ/नहीं	

7.	जन्मतिथि / आयु		
8.	रोज़गार में जीवित पंजीयन	हाँ / नहीं	
9.	अंकसूची 12 वीं (%)		
10.	वांछनीय शैक्षणिक योग्यता	हाँ / नहीं	
11.	कार्यानुभव (अवधि)		
12.	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव प्रमाण–पत्र संलग्न	हाँ / नहीं	
13.	छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण–पत्र	हाँ / नहीं	
14.	संतान 02 से अधिक		
15.	अन्य रिमार्क		

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर